(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1795 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-12-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 45/अपील/2016-17.

1- कृपाल पुत्र नन्नूलाल
2- नरेश पुत्र नन्नूलाल
3- रामबाबू पुत्र हरिनारायण
4- रामचरण पुत्र हरिनारायण
5- लालाराम पुत्र हरिनारायण
6- फुन्दीलाल पुत्र स्व. नन्दराम
7- राकेश पुत्र नन्दराम
8- मिश्रीलाल पुत्र जमुना
निवासीगण ग्राम खजूरी कला
तहसील हुजूर जिला .....आवेदकगण

विरूद्ध

चुन्नीलाल साहू पुत्र हरिनारायण साहू
द्वारा मुख्त्यारआम
ओमप्रकाश साहू पुत्र चुन्नीलाल
निवासी ग्राम खजूरी कला
तहसील हुजूर जिला .....अनावेदक

श्री पी. देशमुख, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर.एस. यादव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-12-2017के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक की ओर से उनके मुख्त्यारआम द्वारा तहसीलदार, भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा ग्राम खजूरी कला स्थित खसरा क्रमांक 62/2/2/1 रकबा 0.20 एकड़ उसकी कृषि भूमि का सीमांकन कराया गया था, जिसमें राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 04.05.2013 के अनुसार अनावेदक की भूमि रकबा 0.20 एकड़ में से रकबा 1764 वर्गफीट भूमि पर आवेदक क्र. 1 व 2, रकबा 3721 वर्गफीट भूमि पर आवेदक क्र. 3 लगायत 5, रकबा 1617 वर्गफीट भूमि पर आवेदक क्र. 6, रकबा 405 वर्गफीट भूमि पर आवेदक क्र. 7 एवं रकबा 680 वर्गफीट भूमि पर अनावेदक क्र. 8 का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है। अत: आवेदकगण का अनाधिकृत कब्जा हटाया जाये। तहसीलदार, एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-70/14-15 पंजीबद्ध कर दिनांक 23.05.2016 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, वृत्त एम.पी. नगर, भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.12.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार किया जाकर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के तहत अनावेदक को आवेदकगण के निवासरत स्थल की भूमि पर काबिज कब्जे को हटाने का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अनावेदक द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही हेतु नियत समयावधि के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, जो कि अवधि बाह्य है।

(2) तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 01/अ-70/14-15 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 19/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 उचित जांच, मौका मुआयना एवं साक्ष्य व गुण-दोष के आधार पर

पारित किये गये हैं, जो कि उचित व विधिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.12.2017 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन स्थल को विवादित बनाकर अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जबकि उस स्थल पर 40-50 वर्ष से लगभग 200 से 250 मकान (झुग्गियां) स्थायी रूप से बनी हुई हैं, जिसके प्रमाण में कुछ आवेदकगण ने शासन से प्राप्त पट्टे की प्रति एवं शेष अनावेदकगण द्वारा विद्युत कनेक्शन, वोटर आई.डी. कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड अपने शिक्षा से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। उपरोक्त दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण 40-50 वर्ष से उक्त स्थान पर बिना बाधा के शांतिपूर्वक निवासरत हैं।

(4) सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मौके पर मकान बने हैं, जिसके कारण न तो सीमांकन किया जा सकता है और न ही नपती की जा सकती है। संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार केवल खुली भूमि पर ही सीमांकन किया जा सकता है। उक्त सीमांकन प्रतिवेदन से सिद्ध होता है कि उक्त स्थल का उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि आवेदकगण की एक आवासीय कॉलोनी है, जो कि बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए संहिता की धारा 250 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि संहिता की धारा 250 का उद्देश्य केवल कृषि भूमि पर से कब्जा हटाये जाने का है, न कि आवासीय भूमि पर से। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश आलोच्यपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं।

(5) अधीनस्थ विचारण/निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत आधार पर आदेश पारित किया है, जिसमें विधि एवं तथ्य की किसी प्रकार की कोई भूल या त्रुटि नहीं की गई है।

(6) विवादित स्थल पर आवेदक एवं उनके पूर्वजों के काल से माता-पिता सहित निवास करते चले आ रहे हैं और आवेदकगण का जन्म भी इसी स्थल पर हुआ है और वे जन्म से ही

इस स्थल पर निवासरत हैं, जिसके आधार पर शासन द्वारा आवेदकगण को पट्टे भी दिये गये हैं।

(7) आवेदकगण कम शिक्षित होकर मात्र हस्ताक्षर करना जानते हैं, जिन्हें विधि का ज्ञान नहीं है, परंतु विचारण न्यायालय के समक्ष जो भी उन्हें जानकारी थी, उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से विधिवत प्रतिवेदन प्राप्त कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया है। अनावेदक सम्पन्न एवं राजनैतिक वर्चस्व के प्रभाव से आवेदकगण को अवैधानिक रूप से बेघर करना चाहता है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को सीमांकन के आदेश दिये गये, जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा पड़ोसी खातेदारों को सूचना दिये जाने के बाद सीमांकन की कार्यवाही की जाकर स्थल पर पंचनामा व प्रतिवेदन भी साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया है, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है। अत: अनावेदक द्वारा सीमांकन के आधार पर आवेदकगण से कब्जा प्राप्ति हेतु संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

(2) आवेदकगण द्वारा अनावेदक के पक्ष में जारी सीमांकन आदेश के विरूद्ध किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में कोई अपील/निगरानी नहीं की गई है।

(3) अनावेदक को सूचना के अधिकार के तहत कार्यालय कलेक्टर नगरीय कल्याण शाखा भोपाल द्वारा दिनांक 13.06.2017 को यह जानकारी दी गई कि आवेदक क्रमांक 3 रामबाबू, आवेदक क्रमांक 4 रामचरण एवं आवेदक क्रमांक 5 लालाराम को शासन द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं दिया गया है। अत: स्पष्ट है कि उक्त पट्टा फर्जी है तथा शेष अनावेदकगण के पास भी उक्त भूमि के किसी प्रकार के कोई पट्टे नहीं हैं।

(4) अनावेदक द्वारा कार्यालय तहसीलदार नजूल वृत्त एम.पी. नगर, भोपाल से भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम खजूरी कला तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 61/2/2/1 रकबा 0.020 एकड़, जो राजस्व अभिलेख

में चुन्नी लाल आत्मज हरिनारायण साहू भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, उक्त भूमि पर शासन द्वारा कोई पट्टा वितरित किये जाने की कार्यवाही नहीं की गई है।

(5)आवेदकगण द्वारा मनगढंत कहानी के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किया जाये, क्योंकि आवेदकगण के पास जो पट्टे उपलब्ध हैं, वह फर्जी हैं, शासन द्वारा उन्हें किसी प्रकार का पट्टा वितरित नहीं किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उन्हें राजीव आश्रय योजनांतर्गत पट्टे पर प्राप्त हुई है । ऐसी स्थिति में प्रशासन का यह दायित्व था कि वह आवेदकगण को उनके पट्टे की जगह सीमांकित कर, उसका कब्जा उन्हें दिलाया जाकर विवाद का निराकरण किया जाना चाहिए था । उपरोक्त स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पुन: पर्याप्त जांचकर उचित निर्णय लेवें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर